न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः—23 / 24

पुरूषोत्तम पुत्र लल्लूराम, जाति खाती, निवासी ग्राम नगला ज्ञानी पाटिका, तहसील बयाना, जिला भरतपुर

...........प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार बयाना

............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांकः— 5/12/2025

उपस्थितिः— श्री धनीराम पोषवाल एड0 प्रार्थी

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता लल्लूराम पुत्र भज्जू का स्वर्गवास दिनांक 06.06.2012 को हो गया है तथा प्रार्थी की माता मुन्नीदेवी का स्वर्गवास दिनांक 21.03.1985 को हो गया है। प्रार्थी के बाबा भज्जू ने अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः लल्लू, धुन्धी व भरोसी छोडे थे। सजरा बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 153 रकवा 3.00, 166 रकवा 2.27 हैक्ट किता—2 कुल रकवा 5.27 हैक्ट. ग्राम नगला ज्ञानी पाटिका तहसील बयाना में प्रार्थी के पिता लल्लूराम 1 / 18 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी थे। उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थी उक्त आराजी को वहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करता व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने दिनांक 30.08.2024 को गया तब पटवारी हल्का ने बताया कि तेरे पिता के नाम खातेदारी है और जमाबन्दी में तेरे पिता का नाम लल्लू के स्थान पर कल्लू दर्ज हो रहा है को पहले शुद्व कराओ तब प्रार्थी को सर्वप्रथम उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। प्रार्थी अनपढ किसान है जो यह नहीं जानता है कि कोई मर जाता है तो उसके स्थान पर उसके बच्चों को लाने के लिये कोई कार्यवाही करनी पडती है अब बिना देरी के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बरान 153 रकवा 3.00, 166 रकवा 2.27 हैक्ट किता—2 कुल रकवा 5.27 हैक्ट. ग्राम नगला ज्ञानी पाटिका तहसील बयाना में दर्ज प्रार्थी के पिता कल्लू पुत्र भज्जू के स्थान पर लल्लू पुत्र भज्जू राजस्व रिकार्ड में शुद्व किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बयाना से उक्त सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक / एलआर / 24 / 109 दिनांक 08.01.25 से उक्त प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम नगला ज्ञानी पाटिका के खाता संख्या 102 जमाबंदी सम्वत 2073—76 में दर्ज कल्लू पुत्र भज्जू हिस्सा 1 / 8 कौम खाती दर्ज रिकार्ड है। त्रुटि राजस्व रिकार्ड की गलती से नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को एकपक्षीय सुना। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कराया।

हमने विद्वान बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी 2073—76, मृत्यु प्रमाण पत्र लल्लूराम पुत्र भज्जूराम, मृत्यु प्रमाण पत्र मुन्नी देवी पत्नि लल्लूराम, परिवार राशन कार्ड संख्या 200000995444, राजस्थान निर्वाचक नामावली—2010 भाग

संख्या 97 हिण्डौन, निर्वाचक नामावली 1980 भाग संख्या 122 विधानसभा हिण्डौन, वोटर पहचान पत्र लल्लू आदि का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान जमाबन्दी में आराजी खसरा नम्बरान 153 रकवा 3.00, 166 रकवा 2.27 हैक्ट. किता–2 कुल रकवा 5.27 हैक्ट. ग्राम नगला ज्ञानी पाटिका तहसील बयाना में दर्ज प्रार्थी के पिता कल्लू पुत्र भज्जू को कलमजन कर कल्लू उर्फ लल्लू पुत्र भज्जू किया जावे। तहसीलदार बयाना को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक...5/12/2025...को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Deepak

(दीपक मित्तल)
उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

न्यायालय उप जिला कलक्टर
बयाना (भरतपुर)